

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

शुद्धि-पत्र

ज्ञापांक-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आवं-24-21/11(खंड)-..... (8)/रा0, पटना-15, दि0- / / 2025

विषय - मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी-3106-सहायक अनुदान गैर वेतन मॉग सं0-40, विपत्र कोड-40-2029008000001 के अन्तर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में पूर्व वित्तीय वर्ष के बकाया राशि सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹1,44,558.00/- (एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ अठावन) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-64(8)/रा0, दिनांक-11.02.2025 में अंकित शिवहर को बक्सर पढ़ा एवं समझा

जाय।

2. शेष सभी कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

FAX

e-mail

ज्ञापांक-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आवं-24-21/11(खंड)- 72- (8)/रा0, पटना-15, दि0- 19 / 2 / 2025
प्रतिलिपि-समाहर्ता, बक्सर/शिवहर/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/
शिवहर /प्रशाखा-05(बजट शाखा) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं शीघ्र आवंटन आदेश
निर्गत करने हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आवं-24-21/11(खंड)- 64 (8)/रा0, पटना-15, दि0- 11/02/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय - मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी-3106-सहायक अनुदान गैर वेतन मॉग सं0-40, विपत्र कोड-40-2029008000001 के अन्तर्गत जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में पूर्व वित्तीय वर्ष के बकाया राशि सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,44,558.00/- (एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ अठावन) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिवहर जिला से प्राप्त अधियाचना के आधार पर कुल 1,44,558.00/- (एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ अठावन) रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	जिला का नाम	अधियाचना सं0 एवं तिथि	जिला द्वारा अधियाचित राशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	शिवहर	पत्रांक-03-1956/रा0 दिनांक-20.08.2024	1,44,558.00	1,44,558.00	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक
कुल योग:-				1,44,558.00	

(एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ अठावन) मात्र।

- अधियाचित राशि के 50 पैसे से कम/अधिक राशि को एक रुपये के पूर्णांक में परिगणित कर तदनु रूप स्वीकृत राशि अंकित की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायगा।
- उक्त राशि मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शास्वत वार्षिकी-3106-सहायक अनुदान गैर वेतन मॉग सं0-40, विपत्र कोड-40-2029008000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगी।
- उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिले के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के जिला कोषागार से होगी।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561(पी0)(2) दिनांक-17.04.1998 एवं इस प्रसंग में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सं0-3002 दिनांक-26.04.17 के आलोक में किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०

o/c

7. राशि का भुगतान बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धितों को भुगतान किया जायगा।
8. राशि की निकासी BTC-42 में की जाएगी तथा व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर विहित प्रपत्र BTC-42A में निश्चित रूप से समायोजन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराया जाय।
9. इस स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. इसमें सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/2/25
(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

FAX
e-mail

ज्ञापांक:-8/विविध 2029 भू-राजस्व वार्षिक आवं-24-21/11(खंड)-64 (8)/रा0, पटना-15, दि0- 11/02/2025
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बिहार, पटना/समाहर्ता, शिवहर/कोषागार पदाधिकारी, शिवहर/प्रशाखा-05(बजट शाखा)
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं शीघ्र आवंटन आदेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

11/2/25
(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।